कुन्तीदेवी

बनाम

सोमराज व अन्य

23 सितम्बर, 2004

(अरिजीत पसायत एवं सी.के.ठक्कर न्यााधिपति)

रणबीर दंड संहिता 1989

धारा 494 सपठित धारा 10 - द्विविवाह-वैद्य विवाह के अस्तित्व के दौरान दूसरा विवाह - जिला न्यायालय ने दिनांक 09.03.1999 को विवाह विघटन की डिक्री पारित की - 8.12.1999 को अपील दायर हुई - उच्च न्यायालय ने 24.11.2000 को आदेश पारित किया कि आगामी आदेशों तक पति पुनर्विवाह नहीं करेगा - जिला न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का क्रियान्वयन स्थगित किया गया - पति ने अपील में तर्क दिया कि उसने पुनर्विवाह, विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित होने के पश्चात बल्कि स्थगन आदेश से पूर्व किया - तत्पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री को अपास्त किया गया - पत्नी ने एक परिवाद यह आरोप लगाते हुए दायर किया कि वैद्य विवाह के अस्तित्व के दौरान पति ने दूसरे विवाह का अनुबंध किया - उच्च न्यायालय ने परिवाद को रदद कर दिया-वैद्यता - अभिनिर्धारित - महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दूसरा विवाह कब हुआ-दूसरा विवाह की निश्चित तारीख के बारे में विवाद है - अतः दूसरे विवाह की तारीख निर्धारित करने हेतु मामला उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित किया गया - जम्मू और कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता, 1989, धारा 561ए-हिन्दू

विवाह अधिनियम, 1955, धारा 9,13 व 28-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 482

अपीलार्थी-पत्नी ने धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना की एक याचिका दायर की। प्रत्यर्थी पति ने अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद की डिक्री हेतु एक याचिका दायर की। जिला न्यायालय ने निर्णय दिनांक 09.03.1999 से विवाह विघटन की डिक्री पारित की। अपीलार्थी-पत्नी ने 8.12.1999 को अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.11.2000 को आदेश पारित किया कि आगामी आदेशों तक पति पुनर्विवाह नहीं करेगा तथा जिला न्यायालय द्वारा पारित डिक्री पर रोक लगा दी। प्रत्यर्थी-पति ने अपील में यह तर्क लिया कि विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित होने के पश्चात बल्कि स्थगन आदेश से पूर्व वह पुनर्विवाह कर चुका था। तत्पश्चात-उच्च न्यायालय ने विवाह-विच्छेद की डिक्री को अपास्त किया।

अपीलार्थी-पत्नी ने एक परिवाद अन्तर्गत धारा 494 सपठित धारा 109 रणबीर दंड संहिता, 1989 यह आरोप लगाते हुए दायर किया कि प्रत्यर्थी-पति ने वैध विवाह के अस्तित्व के दौरान दूसरा विवाह का अनुबंध किया। *कृष्ण गोपाल दिवेदी बनाम प्रभा दिवेदी* **एआईआर 2002 एससी 389 का अवलम्ब लेते हुए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने परिवाद इस आधार पर रदद किया कि विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित होने के बाद तथा उच्च न्यायालय द्वारा उक्त डिक्री अपास्त किये जाने से पहले पति का विवाह सम्पन्न हुआ था। अतः यह अपील प्रस्तुत हुई।**

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित-

1. एकल न्यायाधीश का आक्षेपित आदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश और ऐसे आदेश के प्रभाव का उल्लेख नहीं करता है। यह विवादित

नहीं है कि दिनांक 24.11.2000 के आदेश से प्रत्यर्थी-पति को पुनर्विवाह से स्पष्ट रूप से रोक दिया गया था और विवाह-विच्छेद की डिक्री का क्रियान्वयन स्थगित किया गया था। न्यायालय इस आधार पर कार्यवाही के लिए अग्रसर हुआ कि पति का दूसरा विवाह 08.3.2001 को हुआ और *कृष्ण गोपाल* **के निर्णय को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई अपराध नहीं बनना पाया गया था। उच्च न्यायालय इस आधार पर कार्यवाही हेतु अग्रसर हुआ जैसे कि दूसरा विवाह 8.3.2001 को हुआ था।** *कृष्ण गोपाल* **का मामला एवं हस्तगत प्रकरण के बीच बहुत बडी तथ्यात्मक भिन्नता है।** *कृष्ण गोपाल* **के मामले में इस न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति पर गौर किया गया तो दर्शित हुआ कि उसमें पुनर्विवाह पर रोक का कोई स्थगन आदेश नहीं था। यहां विवाद यह है, जैसा कि इस समय प्रत्यर्थी पति ने उठाया है कि विवाह की तारीख, उस तारीख से बहुत पहले की थी, जिस दिन स्थगन आदेश पारित किया गया था और उस तारीख के बाद की थी, जिस दिन विवाह विघटन की डिक्री पारित की गयी थी।**

कृष्ण गोपाल दिवेदी बनाम प्रभा दिवेदी **एआईआर(2002) एससी 389 को अनुपयुक्त माना।**

2. उपर्युक्त तथ्यात्मक विवाद को देखते हुए यह एक उपयुक्त प्रकरण है, जहां मामला उच्च न्यायालय द्वारा पुनः सुना जाना आवश्यक है। मामले पर नये सिरे से विचार करते समय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 24.11.2000 के प्रभाव को ध्यान में रखा जायेगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि दूसरा विवाह कब हुआ। इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी-पति ने पुनर्विवाह किया। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पुनर्विवाह कब हुआ। इन सभी पहलुओं को उच्च न्यायालय द्वारा मामला नये सिरे से विचार करते समय अभिनिर्णित किया जायेगा।

दांडिक अपीलीय क्षैत्राधिकार: दांडिक अपील संख्या 1066/2004

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के 561-ए/क्रिमिनल पी.सी. संख्या 76/2002 में निर्णय व आदेश दिनांक 26.3.2003 से

एस.एस.जौहर और प्रभजीत जौहर-अपीलार्थी की ओर से

शंभू पीडी सिंह, एमएस. मंजुला गुप्ता, एम.डी. पाण्डेय और प्रेम शंकर झा- प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय

अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया -

अनुमति स्वीकृत

अपीलार्थी ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय की वैद्यता पर प्रश्न उठाया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर दंड प्रक्रिया संहिता 1989 की धारा 561-ए (संक्षेप में जे एण्ड के सीआरपीसी) जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973(संक्षेप में 'कोड') की धारा 482 के समान है, के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर एक परिवाद के आधार पर दर्ज कार्यवाही को खारिज कर दिया गया।

अपील के निस्तारण के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः

अपीलार्थी (इसके बाद 'पत्नी' के रूप में संदर्भित) और प्रत्यर्थी संख्या 1 (इसके बाद 'पति' के रूप में संदर्भित) ने 8.5.1989 को विवाह किया। पत्नी ने एक याचिका दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम ¼संक्षेप में विवाह अधिनियम½ के तहत यह आरोप लगाते हुए दायर की कि पति ने उसका साथ

छोड़ दिया है। पति ने भी ऐसी ही याचिका 11.2.1994 को दायर की। पति अपनी पत्नी को साथ ले जाने हेतु सहमत हुआ जिससे पत्नी द्वारा दायर याचिका आदेश IX नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(संक्षेप में सीपीसी) के तहत खारिज की गयी। आदेश 24.11.1995 को पारित हुआ था। पति ने अन्य बातो के साथ विवाह विघटन की डिक्री की प्रार्थना करते हुए 15.12.1995 को एक याचिका धारा 13 विवाह अधिनियम के तहत विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुरदासपुर के न्यायालय में दायर की। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुरदासपुर ने निर्णय दिनांक 9.3.1999 से परित्याग के आधार पर विवाह विघटन की डिक्री पारित की। 8.12.1999 को धारा 28 विवाह अधिनियम के तहत पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। डिक्री दिनांक 9.3.1999 के क्रियान्वयन को स्थगित करने की भी प्रार्थना की गई। यह भी प्रार्थना की गयी कि पति को पुनर्विवाह करने से रोका जाना चाहिए। अपील दायर करने मे विलम्ब हुआ, जिससे उच्च न्यायालय ने पहले विलंब क्षमा के आवेदन को लिया। एफएओ नं. 14-एम/2000 में सीएम नम्बर 945-सी1/2000 में विस्तृत आदेश दिनांक 14.8.2000 से विलंब को क्षमा किया गया। प्रथम अपील में प्रत्यर्थीगण को उचित नोटिस के बाद माफी का आवेदन पर विचार किया गया और विलंब की माफी के प्रश्न पर पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। तत्पश्चात 24.11.2000 को उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि अग्रिम आदेशों तक पति पुनर्विवाह नहीं करेगा और विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुरदासपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के क्रियान्वयन को स्थगित किया गया। इस आदेश की वर्तमान अपील में अन्तर्वलित विवाद के लिए बडी सुसंगतता है। पत्नी के अनुसार बाद में पति ने 8.3.2001 को पुनर्विवाह किया। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गुरदासपुर द्वारा पारित विवाह विघटन की डिक्री को उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 1.5.2001 से अपास्त किया। अपील के विचारण के दौरान पति द्वारा 19.7.2000 को उच्च

न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि उसने विवाह विघटन की डिक्री पारित होने के बाद पुनर्विवाह कर लिया था। जैसा कि पति के शपथ पत्र में यह उल्लेखित नहीं किया गया कि उसने पुनर्विवाह कर लिया था और उसने पुनर्विवाह कब किया, विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 19.07.2000 को मामला उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 27.7.2000 तक के लिए स्थगित कर दिया। यह जाहिर है कि सुसंगत विवरण उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाये गये। जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, बाद में 14.8.2000 को, न्यायालय ने अपील दायर करने में हुई देरी को माफ किया तथा 24.11.2000 को रोक का आदेश पारित किया। 22.11.2001 को एक परिवाद विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जम्मू के समक्ष दायर किया गया, जिसमें धारा 494 रणबीर दंड संहिता, 1989(1932 एडी) (संक्षेप में 'आरपीसी') सपठित धारा 109 आरपीसी के तहत दण्डनीय अपराध घटित होना एवं यह बताते हुए कि वैद्य विवाह के अस्तित्व के दौरान पति ने दूसरा विवाह का अनुबंध प्रत्यर्थी संख्या 3 श्रीमती उषा के साथ 8.3.2001 को किया। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मय उप न्यायाधीश, जम्मू ने अपराध का प्रसंज्ञान लिया तथा अभियुक्त संख्या 1(पति), अभियुक्त संख्या 2(पति का पिता) व अभियुक्त संख्या 4(श्रीमती उषा का पिता) के विरूद्ध जमानती वांरट जारी किये। यद्यपि परिवाद में आठ अभियुक्त नामित थे, परन्तु जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, तीन व्यक्तियों के संबंध में जमानती वांरट जारी किये गये थे तथा यह पाया कि धारा 494 आरपीसी के तहत दण्डनीय अपराध अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था। सेशन न्यायालय के समक्ष उपस्थिति की तारीख 15.3.2001 नियत की गयी। सभी आठ व्यक्तियों ने जिनको परिवाद में अभियुक्त के रूप में पक्षकार बनाया गया था, उन्होनें धारा 561 ए के तहत एक याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की, कि डिक्री पारित होने के बाद पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 1.5.2001 को उसको अपास्त करने से पहले पति एवं श्रीमती उषा के बीच विवाह सम्पन्न हो गया

था। इस न्यायालय के निर्णय *कृष्ण गोपाल दिवेदी बनाम प्रभा दिवेदी,* एआईआर(2002) एसी 389 का अवलम्ब लेते हुए उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 494 आरपीसी के तहत दण्डनीय अपराध बनना नहीं पाया गया। फलस्वरूप विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट मय उप न्यायाधीश, जम्मू के समक्ष 24.11.2001 को संस्थित परिवाद पत्रावली संख्या 142 के आधार पर की गई कार्यवाही तथा अपराध का प्रसंज्ञान लेने का आदेश दिनांक 12.2.2003 एवं तामील प्रक्रिया को रदद किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के समर्थन में यह निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया कि 24.11.2000 को पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा रोक का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश पति की जानकारी में था। यह तथ्य भी सुस्पष्ट है कि विलंब माफी के आवेदन का उसके द्वारा विरोध किया गया था तथा आवेदन स्वीकार कर देरी को माफ किया गया था। जब स्थगन आदेश प्रभाव में था तब दूसरा विवाह सम्पन्न हुआ था। *कृष्ण गोपाल* (सुप्रा) का निर्णय लागू नहीं होता है, क्योंकि उस प्रकरण में कोई स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं था। तथ्यात्मक स्थिति के विश्लेषण के बिना दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने इस मामले में उक्त निर्णय लागू होना माना।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में यह निवेदन किया कि वास्तव में स्थगन आदेश पारित होने से पहले विवाह सम्पन्न हुआ था। परिवादीया द्वारा परिवाद में उक्त दूसरा विवाह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर वह यह जानती थी कि अपील ग्रहण करने से पहले ही विवाह सम्पन्न हो गया था। उसके द्वारा परिवाद का समग्र रूप से पठन करने से भी किसी भी सूरत में परिवाद में अपराध का घटित होना प्रकट नहीं होता है तथा उच्च न्यायालय ने जे एण्ड के सीआर.पी.सी. की धारा 561-ए के तहत उचित रूप से क्षैत्राधिकार का प्रयोग किया है।

एक महत्वपूर्ण बात ज्ञात हुई जो इस विवाद से बडा ताल्लुक रखती है। विद्वान एकल न्यायाधीश का आक्षेपित आदेश पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश व उसके प्रभाव को संदर्भित नहीं करता है। यह विवादित नहीं है कि आदेश दिनांक 24.11.2000 स्पष्ट रूप से पति को पुनर्विवाह से रोकता है तथा विवाह-विच्छेद की डिक्री के क्रियान्वयन को स्थगित किया था। न्यायालय इस आधार पर कार्यवाही हेतु अग्रसर हुआ कि पति व उषा के बीच विवाह 8.3.2001 को हुआ तथा *कृष्ण गोपाल* (सुप्रा) के निर्णय को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अपराध नहीं बनना पाया गया था। जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की, जैसे विवाह 8.3.2001 को हुआ था। *कृष्ण गोपाल* का मामला एवं हस्तगत प्रकरण के बीच बहुत बडी तथ्यात्मक भिन्नता है। *कृष्ण गोपाल* (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति पर गौर किया गया तो दर्शित हुआ कि उसमें पुनर्विवाह के रोक का कोई स्थगन आदेश नहीं था। पुनः यह गौर किया कि एक विवाद है, जैसा कि प्रत्यर्थी-पति द्वारा इस समय उठाया गया है कि विवाह की तारीख स्थगन आदेश पारित होने की तारीख से बहुत पहले की है तथा विवाह विघटन की डिक्री पारित होने की तारीख के बाद की है।

उपर्युक्त तथ्यात्मक विवाद को देखते हुए हमारे विचार में यह एक उपयुक्त प्रकरण है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा मामले को पुनः सुना जाना आवश्यक है। मामले पर नये सिरे से विचार करते समय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 24.11.2000 के प्रभाव को ध्यान में रखा जायेगा। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि दूसरा विवाह किस तारीख को हुआ। यह भी गौर करने योग्य है कि यह विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी-पति ने उषा से विवाह किया। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि विवाह कब हुआ। इन सभी पहलुओ को उच्च न्यायालय द्वारा मामला नये सिरे से विचार करते समय अभिनिर्णित किया जायेगा।

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केवल अभियुक्त संख्या 1,2 व 4 के संबंध में ही तामील जारी की थी। अपीलार्थी द्वारा उच्चतर न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौति नहीं दी गयी है। यह अपील शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध खारिज की जाती है।

तदनानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हुकमसिंह राजपुरोहित (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।